संख्या-1571/14-2-2015-800(11)/2015

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

वन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 21 अगस्त, 2015

विषय- जनपद बस्ती में बस्ती-कांटे मार्ग के किमी0 16 से 17 के बीच पडने वाले रेलवे सम्पार संख्या-192 (स्पे0) पर उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत संरक्षित वन भूमि 0.2855 हे0 का गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन भूमि हस्तान्तरण एवं 29 अदद बाधक वृक्षों के पातन हेतु भारत सरकार से पूर्वानुमति हेतु दिये गये प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या-1089/11-सी- 26, दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 तत्क्रम में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के सैद्वांतिक स्वीकृति संख्या-8बी/यू0पी0/07/134/2013/ एफसी/1474, दिनांक 02-01-2014 व विधिवत स्वीकृति संख्या-8बी/यू0पी0/07/134/ 2013/एफसी/1335, दिनांक 15-12-2014 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बस्ती में बस्ती-कांटे मार्ग के किमी0 16 से 17 के बीच पडने वाले रेलवे सम्पार संख्या-192 (स्पे0) पर उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत संरक्षित वन भूमि 0.2855 हे0 का गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन भूमि हस्तान्तरण एवं 29 अदद बाधक वृक्षों के पातन हेतु भारत सरकार से पूर्वानुमति हेतु दिये गये प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों को सम्मिलित करते हुये एतदद्वारा विज्ञप्ति (Notification) निर्गत की जाती हैं-

(1) वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
भा0स0

(2) प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वृक्षों के दस गुनेअर्थात 290 वृक्षों
भा0स0 का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख-रखाव किया जायेगा।

(3) प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़े
भा0स0 स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

(4) अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा
भा0स0 एन0पी0वी0 की बढी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

(5) परियोजना के निर्माण् व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-
भा0सं0 जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

(6) प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
भा0स0

(7) प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान
भा0स0 मिट़टी/पत्थर काटने व भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को
भा0स0 रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की आयेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।

(9) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए
भा0स0 किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

(10) निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन राज्य के निर्धारित विभाग
भा0स0 /प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा एवं आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

(11) प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्य कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देखरेख
भा0स0 में किया जायेगा।

(12) प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने
भा0स0 की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति का निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

(13) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उनके स्वयं के व्यय पर प्रस्तावित सेतु के नीचे संपूर्ण लम्बाई में
भा0स0 ग्रीन बेल्ट का निर्माण किया जायेगा एवं ग्रीन बेल्ट के निर्माण की सूचना भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र लखनऊ के कार्यालय में उपलब्ध करायी जायेगी।

(14) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98-एफसी, दिनांक 08-7-2011 में दिये
भा0स0 गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।

(15) प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत संबंधित जिले के
भा0स0 जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।

(16) प्रस्तावक विभाग को रेलवे विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र किया जायेगा।
भा0स0

(17) मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(18) प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा
पहुंचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(19) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु अवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(20) वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(21) प्रस्तावित वनभूमि पर स्थित बाधक बृक्षों का पातन सिर्फ उ0प्र0 वन निगम द्वारा किया जायेगा तथा पातन की विभिन्न प्रक्रिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग,फैलिंग,लागिंग एवं ट्रान्सपोट्रेशन चार्जेज वन निगम को भुगतान करना होगा। बृक्षों के छपान का व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान करना होगा। यह व्यवस्था भारत सरकार के पत्रांक-5-1/2007-एफसी, दिनांक 11-12-2008 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उल्लिखित है।

(22) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(23) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।

(24) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(25) प्रस्तावक विभाग को भू-स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

(26) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-1571 (1)/14-2-2015-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हेतु है-

(1)- मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,क्षेत्रीय कार्यालय,केन्द्रीय भवन, पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार,लखनऊ।
(2)- जिलाधिकारी, बस्ती।
(3) वन संरक्षक, बस्ती वृत्त, बस्ती।
(4)- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बस्ती।
(5) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, बस्ती।
(6)- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, सेतु निर्माण इकाई, बस्ती।
(7)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in